



रायपुर : कोरोना वायरस से सुरक्षा: जिले के भीतर, अंतर्जिला तथा अंतर्राज्यीय पास जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

रायपुर, 28

कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 3 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर को (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए केवल अत्यावश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन एवं अत्यावश्यक कारणों से आवागमन की अनुमति देने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। साम विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी कर राज्य के सभी कलेक्टरों एवं जिला दण्डाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को सक्षम अनुमति, स्वी आवागमन पास जारी नहीं करने तथा सभी चेक प्वाइंट एवं बैरियर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जिले के भीतर आवश्यक कारणों से आवागमन के लिए अनुमति पत्र, पास एवं छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्जिला आवागमन के लिए मृत्यु, मेडिकल इ अन्य आपातक प्रकरणों में अनुमति पत्र आवेदक के निवास स्थान के जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों, अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अनुमति स्तर से दी जाएगी। आवेदक के निवास स्थान वाले जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से आपात स्थिति होने पर ही अनुमति हेतु अनुशंसा ई-मेल के माध्यम से राज्य स्तर पर ई-मेल बहणीवउमम हउंपसणबवउ पर गृह विभाग के सचिव को भेजी जाएगी। अंतिम निर्णय राज्य स्तर से लिया जाएगा। राज्य शासन स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा अनुम जारी किया जाएगा।

अनुमति पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रवास करने वाले व्यक्तियों में से ही आवेदनकर्ता होना आवश्यक है। आवेदक एवं प्रवास करने वाले व्यक्तियों का पहचान पत्र के रूप में आधार क रूप से लिया जाएगा। आवागमन के उद्देश्य की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज देना होगा। जैसे- मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा ग्राम पंचायत अथवा चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मेडिकल इमरजेंस चिकित्सा संबंधी दस्तावेज-रेफरकर्ता चिकित्सक, चिकित्सालय का प्रमाण पत्र, चिकित्सालय का नाम व स्थान जहां इलाज किया जाना है तथा अन्य आपातक, अत्यावश्यक कारण के लिए सुसंग आदि आवेदक को देना होगा। प्राप्त आवेदनों के संबंध में प्रथम दृष्टया सत्यापन एवं पुष्टि जिला स्तर पर की जाएगी तथा वास्तविक आवश्यकता होने पर ही आवेदन राज्य स्तर पर अग्रप्रेषित किए मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रवास के समय सोशल डिस्टेंस से संबंध गाइडलाईन का पालन किया जाए।

Pdf के लिए यहाँ Click करें.....

क्रमांक-6

TAGS:

Print this article

